



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169769

न्यास-पत्र

मुख्य ट्रस्टी




गवाह



स्टाम्प 750/- रू०

गवाह



हम कि कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र स्व० मैनेजर तिवारी निवासी ग्राम-पकड़ी तिवारी, पोस्ट-महेन, तहसील-बरहज, थाना-मदनपुर, जिला-देवरिया हालमुकाम रामकृष्ण मिशन मार्ग, मोहदीपुर, पोस्ट-कूड़ाघाट, शहर गोरखपुर का हूँ।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169770

हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति, छूआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये, विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रु० 10000/- (दस हजार रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी :-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169771

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "नई दिशा सेवा ट्रस्ट" होगा, जिसे इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" या "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय रामकृष्ण मिशन मार्ग, मोहदीपुर, पोस्ट-कूड़ाघाट, शहर गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत होगा।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा, जिनकी कुल संख्या-3 से कम तथा 9 से अधिक नहीं होगी। ट्रस्टी का पद किसी भी दशा में लाभ का नहीं होगा और न ही इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद किया जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों को भी नामित किया जा सकेगा। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टीगण तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त

K. K.



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169772

रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है—

- 1— श्रीमती प्रतिभा तिवारी पत्नी कृष्ण कुमार तिवारी निवासिनी ग्राम—पकड़ी तिवारी, पोस्ट—महेन, तहसील—बरहज, थाना—मदनपुर, जिला—देवरिया।
- 2— संजय तिवारी पुत्र स्व० मैनेजर तिवारी निवासी ग्राम—पकड़ी तिवारी, पोस्ट—महेन, तहसील—बरहज, थाना—मदनपुर, जिला—देवरिया।
- 3— संजय त्रिपाठी पुत्र हरिनारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम—हरिश्चन्द्र कोड़ा, पोस्ट—पिवकोल, जिला—देवरिया।
- 4— अविनाश शुक्ला पुत्र श्रीराम शुक्ला निवासी ग्राम—केशवबारी, पोस्ट—गौरीबाजार, जिला—देवरिया।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "नई दिशा सेवा ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है—
 1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना। शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार—प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
 2. नव—युवक, नव—युवतियों व छात्र—छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169773

3. वर्तमान समय में विज्ञान का जीवन में आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।
4. समाज के सामुदायिक विकास, परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। लिंग भेद, जाति-पाति, छूआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए, प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
5. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, (आईटीआई संस्था) गैर-तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना। समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये किड-केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पीजी कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

K. K.



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169775

10. खाद्य प्रसंस्करण जैसे-जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे-हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
11. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
12. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो। महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
13. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169776

- प्रबन्ध करना।
14. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।
 15. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
 16. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
 17. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना-बेचना, उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।
 18. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे- यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169777

- प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
19. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन, गौ पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
 20. बीड़ी, सीगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गांजा-भांग, स्मैक, शराब एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
 21. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे-अन्ध विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति-पात एवं छूआ-छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
 22. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद-फरोख्त, पारिवारिक, हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिये युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
 23. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना- विभिन्न त्योहारों, जैसे-होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे-शादी,

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169778

- गवना, सालगिरह एवं जन्म दिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक-थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
24. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे-योगा, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।
25. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड-पाइप की व्यवस्था करना।
26. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
27. एड्स, कैंसर, टी0वी0, कोढ़ मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

28. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी, झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।
29. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना। सरकारी कार्यक्रमों जैसे डूडा एवं सूडा को संचालित करना।
31. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दावा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें मूल्य दिलाना, तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651507

32. बर्मी, कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।
33. बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक उर्जा, श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
34. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियन्त्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिये रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।
35. प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, सुनामी, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिये सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिये लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।
36. लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम

Kul





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651508

- जागृत करने के लिये पशु मेले का आयोजन करना।
37. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जखमी व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।
 38. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
 39. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके। गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
 40. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
 41. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कटपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651508

- जागृत करने के लिये पशु मेले का आयोजन करना।
37. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जख्मी व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।
 38. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
 39. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सकें। गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
 40. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
 41. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कटपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a fingerprint or a similar official mark.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651509

प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

42. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य तथा इस संस्था से मिलते हो।
43. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
44. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुंचाना।
45. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
46. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य
 - (क) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
 - (ख) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों की सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

K. K.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651510

- (ग) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए समिति, पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
- (घ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयों गठित करना।
- (ङ) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
- (च) ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
- (छ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
- (ज) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों

A handwritten signature in blue ink is written over a circular, textured stamp or seal.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651511

- के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
- (झ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
- (ञ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।
- (ट) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।
- (ठ) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों/महाविद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651512

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था
- (क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा—
- (1) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रधान प्रबन्धक हम मुक़िर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारी में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।
 - (2) मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा नामित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
 - (3) ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका

K. K.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651513

तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

- (4) ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
- (5) ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने, या ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (6) ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारी नियमानुसार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(Handwritten Signature)






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 651514

- (7) ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (8) ट्रस्ट से सम्बन्धित कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्ट मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।
- (ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन—
 - (1) ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दे दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों को वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
 - (2) वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के वर्ष भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम व निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

Paul






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 658872

7. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
 - (1) इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - (2) ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
 - (3) ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
 - (4) ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
 - (5) ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
 - (6) ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
 - (7) ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

K. K.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 658873

- (8) इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
 - (9) ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
 - (10) ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना।
 - (11) ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख रखाव करना।
8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था
 ट्रस्ट के कोष को सुचारु रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियों निहित होगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

Kul





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 658874

9. ट्रस्ट के अभिलेख.
ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।
10. ट्रस्ट के नियमों में संशोधन
मुख्य ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर ट्रस्ट की मूल भावना को बिना प्रभावित किये समयानुसार अति आवश्यक होने पर ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु संशोधन एवं नियमों में परिवर्तन तथा नियमों में शिथिलता किया जा सकता है।
11. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था
ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी।





भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

11AD 658875

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


- (1) यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- (2) यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- (3) यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

(Handwritten signature)



98 / 183.17 100 851

4187



10,000.00

200.00

140

340.00

58

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

न्यास की राशि

श्री कृष्ण कुमार तिवारी

पुत्र श्री स्व० मैनेजर तिवारी

व्यवसाय व्यापार

निवासी म्थायी पकड़ी तिवारी तह० बरहज जि० देवरिया
अम्थायी पता मोहद्वीपुर सदर गो०

ने यह लेखपत्र इम कार्यालय में दिनांक 17/3/2017 समय 1:58PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया



रजिस्ट्रीकारण अधिकारी के हस्ताक्षर

रईस अहमद खॉ
उप निबंधक द्वितीय

गोरखपुर

17/3/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री कृष्ण कुमार तिवारी

पुत्र श्री स्व० मैनेजर तिवारी

पेशा व्यापार

निवासी पकड़ी तिवारी तह० बरहज जि० देवरिया



ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान

प्रदीप कुमार मिश्र

परशुराम मिश्र

पेशा व्यापार

निवासी रानीडीहा सदर गो०

व

विवेक शुक्ला
वी० एन० शुक्ला

पेशा व्यापार

निवासी गोरखनाथ सदर गो०


ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र माक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

मुफिर ने अधार, ग० अधार

नि०लि०


कमलेश



रजिस्ट्रीकारण अधिकारी के हस्ताक्षर

रईस अहमद खॉ
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर

17/3/2017




11AD 658876

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- (4) ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसके सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
- (5) ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
- (6) ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

16317 4-66



Registration No.:

43

Year: 2017

Book No.:


4

0101 कृष्ण कुमार तिवारी

स्व0 मैनेजर तिवारी

पकड़ी तिवारी तह0 बरहज जि0 देवरिया

व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


11AD 658877

- (7) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- (8) ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- (9) ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

(Handwritten signature)



१० / 163.17.14 - 682



Registration No.: 43

Year: 2017

Book No.: 4

W1 प्रदीप कुमार मिश्र
परशुराम मिश्र
रानीडीहा सदर गो०
व्यापार



W2 विवेक शुक्ला
बी० एन० शुक्ला
गोरखनाथ सदर गो०
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 658878

घोषणा

नई दिशा सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम कृष्ण कुमार तिवारी मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त ट्रस्ट पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी



1. श्री प्रदीप कुमार सिन्हा
श्री श्री परशुराम सिन्हा
HNO. 247 '0' लाल बौरा लालीडीटा गोरखपुर
कालीडीटा लालीडीटा गोरखपुर

2.
(विवेक शुक्ला)
श्री श्री श्री सुभाष शुक्ला
एम्.डी.डी. नं. 1, गोरखपुर
गोरखपुर

डापटेड
शुशील कुमार श्रीवास्तव
सुशील कुमार श्रीवास्तव
(एडवोकेट)
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर।
दिनांक : 17.03.2017

93) 163-17-66



आज दिनांक 17/03/2017 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 212
पृष्ठ सं. 263 से 320 पर क्रमांक 43
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रईस अहमद खॉ
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
17/3/2017



[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page]

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नई दिशा सेवा ट्रस्ट द्वारा शीतलहर-2017 के दौरान निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव हेतु कम्बल वितरित किया गया।

संस्था द्वारा किये गये कार्य सराहनीय है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी

सुंदर, गोरखपुर




प्रशंसा पत्र

समाजसेवी संस्था नई दिशा सेवा ट्रस्ट गोरखपुर स्वच्छता के प्रति महानगर गोरखपुर में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इनके द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान तथा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 के अवसर पर नगर निगम गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में वितरित किये गये। हरा एवं नीला रंग के इस्टबिन का वितरण संस्था द्वारा किया गया। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत वितरित तुलसी के पौधे के माध्यम से समाज में जागरूकता संदेश प्रदान किया। संस्था की कार्य शैली उत्कृष्ट है। संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।


दिनांक:-.....


(प्रेम प्रकाश सिंह)

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर
नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर



Knowledge Links




सत्यमेव जयते



FIVE DAYS RESIDENTIAL WORKSHOP ON COMMUNITY APPROACHES TO SANITATION

(CAS)



एक कदम स्वच्छता की ओर

Date : 19 - 23 August, 2017



एक कदम स्वच्छता की ओर

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to Certify that Ms./Mrs./Mr. **Krishna Km. Tiwari**.....From.....**K.R.C**
has successfully participated in 5 days residential workshop on Community Approaches to Sanitation
from 19 - 23 August, 2017 at Gorakhpur (U.P.)

Chief Policy and Programmes
Knowledge Links

District Panchayat Raj Officer
Gorakhpur

Deputy Director Panchayat Raj
Gorakhpur Division

हिन्दुस्तान
**पर्यावरण
महोत्सव**

☀ प्रशस्ति पत्र ☀

श्री/सुश्री नई दिशा सेवा क्लब ने हिन्दुस्तान
पर्यावरण महोत्सव के अवसर पर आयोजित पर्यावरण प्रदर्शनी में अपनी पेटिंग प्रदर्शित
कर सहभाग किया। हम आपकी रचनाधर्मिता की सराहना और आपके उज्ज्वल भविष्य
की कामना करते हैं।

XX

हरिओम पाण्डेय
यूनिट हेड, गोरखपुर




श्री/सुश्री

आशीष त्रिपाठी
स्थानीय सम्पादक, गोरखपुर

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नई दिशा सेवा ट्रस्ट द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी-2020 के दौरान निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव हेतु (राशन, पेयजल, माक्स एवं सेनेटाईजर) वितरित किया गया।

संस्था द्वारा किये गये कार्य उत्कृष्ट है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।




(गौरव सिंह सोगरवाल)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
सदर, गोरखपुर

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नई दिशा सेवा ट्रस्ट द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी-2020 के दौरान निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव हेतु (राशन, पेयजल, माक्स एवं सेनेटाईजर) वितरित किया गया।

संस्था द्वारा किये गये कार्य उत्कृष्ट है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।




(गौरव सिंह सोगरवाल)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
सदर, गोरखपुर

RAVI KISHAN SHUKLA

Member of Parliament
(Lok Sabha)
64, Gorakhpur



Flat No.508, Arched Green Apartment,
Mohaddipur, Gorakhpur (U.P.)-273008
Mob.: 9415800601, 09013997457
9415258620, 0551-2272211
ravikishanbjp@gmail.com

Ref. No. 528

Date 03 JUNE 2020


कोरोना योद्धा, सेवा सम्मान - पत्र
Certificate of Appreciation

*Thank you, Corona warriors !
The certificate is presented to*



श्री कृष्ण कुमार तिवारी

मुख्य ट्रस्टी नई दिशा सेवा ट्रस्ट गोरखपुर



(रवि किशन शुकला)

ई. प्रवीण कुमार निषाद

संसद सदस्य (लोक सभा)

संत कबीर नगर (उ.प्र.)

सदस्य:

- ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
- परामर्शदात्री समिति - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय



123-125, नॉर्थ एवेन्यू

नई दिल्ली-110 001

फोन : 011-23093427

मोबाइल : 08756555721

ईमेल : praveennishad4u@gmail.com

पत्रांक:.....

दिनांक: 16-09-2020

प्रशंसा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नई दिशा सेवा ट्रस्ट जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता, साहित्य एवं कला, खेल कूद आदि के क्षेत्रों में वर्ष-2017 से अब तक निरन्तर उत्कृष्ट कार्य करती आ रही है।

संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार निषाद)

अमन मणि त्रिपाठी
विधायक
316 नौतनवाँ, महाराजगंज



निवास: 19 ए, हुमायूँपुर (दक्षिणी)
दुर्गाबाड़ी रोड - गोरखपुर
मो०- 8887151116

पत्रांक :

दिनांक:

प्रशंसा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "नई दिशा सेवा ट्रस्ट" जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता, साहित्य एवं कला, खेल कूद आदि के क्षेत्रों में वर्ष-2017 से अब तक निरन्तर उत्कृष्ट कार्य करते आ रहे हैं।

संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

भवदीय




Nayi Disha Seva Trust



BRIEF DESCRIPTION OF THE ORGANIZATION

ON 17 March 2017, Nayi disha seva Trust was Incorporated –Environment, education, Health with awareness (HIV, Polio, Hepatitis, cancer etc.), Financial Help, Help during Natural disaster, animal, Religious support. Cleanliness programme, Health care activities in rural villages in free health camps, focus handicap disable person, human right, celebrated grant saint bi death anniversary, Beti bachao beti padhao, women helpline, child protection, Social Integ through Inter-Cast Marriage,

Vision

We aim to provide complete support, protection and care to needy and deprived people society with special focus on rural communities; and aim to bring in change in their lives.

Mission

We are destined to support the needy rural communities with adequate care, protection, rehabilitation support with innovative service initiatives to alleviate their lives economically, socially, culturally and healthwise. In order to realize our vision, we have adopted the following mission objectives:

- To conceptualize and develop support initiatives to bring sustainable change in the lives of the needy.
- To promote education and economic growth skills among rural communities for a better tomorrow.
- To offer a complete range of services and help to remove the social stigma from the live communities
- To promoted social initiatives among private and public sector agencies to make them socially responsible.
- To offer protection, counselling and economic support for various social cause.

Nayi Disha

कार्यालय जिला क्षय रोग अधिकारी गोरखपुर।

पत्रांक - एन0टी0ई0पी0 / गोद प्रक्रिया / 2021-22 /

दिनांक 30.09.2021
05.10.21

श्री कृष्ण कुमार तिवारी
मुख्य ट्रस्टी
नई दिशा सेवा ट्रस्ट,
मोहददीपुर, गोरखपुर।

आप के पत्र दिनांक 26.08.2021 के क्रम मे 05 बच्चो की लिस्ट गोद की प्रक्रिया हेतु दी जा रही है।

अतः 05 बच्चो को गोद लेकर फोटो ग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	रोगी का नाम	पिता का नाम	उम्र	लिंग	निःक्षय आई0डी0	दवा शुरू होने की तिथि	पता	मो० न०	गोद लेने वाले का पद/नाम	गोद लेने का दि०
1	शबाना	स्व० शमशाद	12	म०	20849018	14.09.2021	कसाईबाड़ा के पीछे, हिमायुपुर, गो०	9307728936	मुख्य ट्रस्टी श्री कृष्ण कुमार तिवारी	05-10-21
2	अभिषेक	विजय	18	पु०	20849546	21.09.2021	आदर्श स्कूल के बगल में, रसूलपुर, गो०	8573011543	मुख्य ट्रस्टी	11
3	शाहीन नौशाद	नौशाद	14	म०	20781384	11.09.2021	आवास विकास, कालोनी शाहपुर	7607671715	मुख्य ट्रस्टी	11
4	सुमित	लवकुश	13	पु०	19382065	23.06.2021	घोष कम्पनी, आकाश मोबाईल के पास	6307148868	मुख्य ट्रस्टी	11
5	अंजली	फेकू यादव	18	म०	20374399	17.08.2021	सूर्य विहार कालोनी, सूरज कुण्ड, गो०	8009464169	मुख्य ट्रस्टी	11

जिला क्षय रोग अधिकारी
गोरखपुर।
05/10/21

(See rule 17A/11AA/2C)
Order for provisional registration

1	PAN	AACTN7061J
2	Name	NAYI DISHA SEWA TRUST
2a	Address	
	Flat/Door/Building	0
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	
	Area/Locality	PAKDI TIWARI
	Town/City/District	DEORIA
	State	UTTAR PRADESH
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	274603
3	Document Identification Number	AACTN7061JE2020601
4	Application Number	743113170241120
5	Provisional Registration Number	AACTN7061JE20206
6 ✓	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional registration is being granted	02-Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A
7	Date of provisional registration	27-05-2021
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally registered	From AY 2021-22 to AY 2023-24
9	Order for provisional registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which provisional registration is being granted	
	The provisional registration is granted subject to the following conditions:-	
	a. As and when there is a move to amend or alter the objects/rules and regulations of the applicant, prior approval of the Commissioner of Income Tax shall be sought along with the draft of the amended deed and no such amendment shall be effected until and unless the approval is accorded.	

b. In the event of dissolution, surplus and assets shall be given to an organization, which has similar objects and no part of the same will go directly or indirectly to anybody specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.

c. In case the trust/institution is converted into any form, merged into any other entity or dissolved in any previous year in terms of provisions of section 115TD, the applicant shall be liable to pay tax and interest in respect of accreted income within specified time as per provisions of section 115TD to 115TF of the Income Tax Act, 1961 unless the application for fresh registration under section 12AB for the said previous year is granted by the Commissioner.

d. The Trust/ Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

e. The registration u/s 12AB of the Income Tax Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.

f. Order u/s 12AB read with section 12A does not confer any right of exemption upon the applicant u/s 11 and 12 of Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provisions of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

g. No change in terms of Trust Deed/ Memorandum of Association shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

h. The Trust/ Society/ Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these accounts audited in accordance with the provisions of the section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Seperate accounts in respect of each activity as specified in Trust Deed/ Memorandum of Association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organisation.

i. The Trust/ Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the Income Tax Act, 1961.

j. Seperate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of Income Tax Act, 1961.

k. The registered office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the jurisdiction of Jurisdictional Commissioner of Income Tax except with the prior approval.

l. No asset shall be transferred without the knowledge of Jurisdictional Commissioner of Income Tax to anyone, including to any Trust/ Society/ Non Profit Company etc.

m. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/ Institution/ Non Profit Company are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/ Institution/ Non Profit Company.

n. If it is found later on that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per the provision u/s section 12AB(4) of the Act.

o. This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/ Institution.

p. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account whose number shall be communicated to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax.


q. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.

r. The registration and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for registration has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 17A or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4) of the said rule, the registration and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the registration and URN shall be deemed to have never been granted or issued.

Name and Designation of the Registration Granting Authority

Principal Commissioner of Income Tax/
Commissioner of Income Tax

(Digitally signed)



Signature Not Verified
Digitally signed by DS DIT (CPC)
1
Date: 2021.05.27 18:08:46 IST

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional approval

1	PAN	AACTN7061J
2	Name	NAYI DISHA SEWA TRUST
2a	Address	
	Flat/Door/Building	0
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	PAKDI TIWARI
	Area/Locality	DEORIA
	Town/City/District	
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	274603
3	Document Identification Number	AACTN7061JF2022001
4	Application Number	880123510060122
5	Unique Registration Number	AACTN7061JF20220
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional approval is being granted	12-Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of provisional approval	13-01-2022
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally approved	From 13-01-2022 to AY 2024-2025
9	Order for provisional approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which provisional approval is being granted	
	The provisional approval is granted subject to the following conditions:-	

a. No change in the deed of the applicant trust/society/non profit company or any of its bye-laws shall be affected without the due procedure of law and the approval of the Competent Authority as per provisions of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax and to the Assessing Officer.

b. Any change in the trustees or address of the applicant trust/society/non-profit company shall be intimated forthwith to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax and to the Assessing Officer.

c. The applicant trust/society/non profit company shall maintain its accounts regularly and also get them audited as per the provisions of section 80G(5)(iv) read with section 12A(1)(b)/10(23C) of the Income Tax Act, 1961.

d. Certificate of donation shall be issued to the donor in form no 10BE, as per the provisions of rule 18AB.

e. No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

f. The trust/society/non profit company shall file the return of income of its trust/society/non profit company as per the provisions of section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.

g. The approval granted through this order shall apply to the donations received only if the applicant trust/society/non profit company, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions laid down in section 80G(5) of the Income Tax Act, 1961 and the religious expenditure does not exceed the limit specified in section 80G(5B) of the said Act.

h. If the applicant trust/ society/ non-profit company derives any income, being profits and gains of business, it shall maintain separate books of account in respect of such business as provided in section 80G(5)(i) of the Income Tax Act, 1961. Further, any donation received by the applicant shall not be used, directly or indirectly, for the purposes of such business and a certificate shall be issued to every person making a donation to the effect that the applicant maintains separate books of account in respect of the business and the donation received by it will not be used, directly or indirectly, for the purpose of the business.

i. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.

j. The approval and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for approval has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 11AA or by not complying with the requirements of sub-rule (3) or (4) of the said rule, the approval and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the approval and URN shall be deemed to have never been issued or granted.

Name and Designation of the Approving Authority

Principal Commissioner of Income Tax/
Commissioner of Income Tax
(Digitally signed)

Signature Not Verified

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 2022.01.13
20:48:42 IST

Nai Disha Seva Trust

Unique Id of VO/NGO

UP/2017/0181745

Registration Details

Registered With	Sub-Registrar
Type of NGO	Trust (Non-Government)
Registration No	43/2017
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	Trust
City of Registration	Deoria
State of Registration	UTTAR PRADESH
Date of Registration	17-03-2017

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
Krishna Kumar Tiwari	Chairman	Available	Available
Avinash Dutt Shukla	Member	Available	Available
Sanjay Tiwari	Member	Available	Available
Pratibha Tiwari	Member	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues Agriculture, Children, Civic Issues, Dalit Upliftment, Disaster Management, Drinking Water, Education & Literacy, Environment & Forests, Health & Family Welfare, Micro Finance (SHGs), Rural Development & Poverty Alleviation, Urban Development & Poverty Alleviation, Women's Development & Empowerment

Operational Area-States UTTAR PRADESH

Operational Area-District UTTAR PRADESH->Lucknow, Gorakhpur, Deoria

FCRA details

FCRA Available **FCRA Registration no.**

Not Available Not Available

Details of Achievements

We have jointly worked with Nagar Nigam, Gorakhpur for the awareness of Clean City, Green City. Distributed the dustbins (Green

Source of Funds

Department Name	Source	Financial Year	Amount Sanctioned	Purpose
Not Specified	Any Other	2016-2017	Not Specified	Not Applicable
Not Specified	Any Other	2017-2018	Not Specified	Not Applicable

Contact Details

Address Village Pakari Tiwari Post Mahen Distt Deoria Uttar Pradesh

Name

Address

City

State

Zip

Phone

Business


Home

Other

Comments

नगरपालिका बास जपाराष्ट्र - वर-वर स कूड का उठान, सड़का का सफाई, कूड का संग्रहण, परिवहन

1.1. डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन - माह मई, 2017 में वार्ड सं0-01 महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं0-1 में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में महानगर के कुल 31 वार्ड में 13 कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।



1.2. कूड़े दान का वितरण एवं स्थापना -

1.2.1. गोरखपुर विश्वविद्यालय - महानगर गोरखपुर में स्थापित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 06 हास्टल, 04 कालोनी एवं विश्वविद्यालय का विशाल प्रांगण व अन्य कार्यालय इत्यादि संचालित है। उपरोक्त स्थलों से कूड़ा एकत्रित किये जाने एवं नाले नालियों की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिये मा0 कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27 मई 2017 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें कूड़ेदान स्थापित किये जाने, कालोनियों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन निर्धारित शुल्क तथा कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये कार्य योजना तैयार की गयी। (विस्तृत रिपोर्ट संलग्न)



1.2.2. वार्ड स्तर पर बैठक - श्रीमती संध्या तिवारी, जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्ड सं0 33 उत्तरी आवास विकास कालोनी बेतियाहाता में "डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण में जनसहभागिता" विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्थानीय नागरिकों एवं सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष इत्यदि उपस्थित रहें। स्थानीय संस्था आवाहन द न्यू वायस, पहला कदम स्व0 राम रहस्य एजुकेशनल ट्रस्ट, नई दिशा सेवा ट्रस्ट के सहयोग से हरे एवं नीला रंग के डस्टबिन वितरित किये गये।



1.2.3. स्रोत पर कूड़े के पृथक्करण एवं निस्तारण हेतु बैठक - विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर



दिनांक 04 जून 2017 को नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया जिसमें 31 वार्ड में कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, समस्त सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सम्बन्धित वार्ड के मा0 पार्षद उपस्थित रहें। कूड़ा कलेक्शन एवं वार्ड स्तर पर साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिये प्रेरित किया।

1.2.4. विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन - शासन के निर्देशानुसार विश्व


पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर मा0 महापौर जी के नेतृत्व में स्थानीय संस्था स्वर्गीय राम रहस्य एजूकेशनल ट्रस्ट गोरखपुर, आह्वान द न्यू वायस नई दिल्ली एवं पहला कदम, नई दिशा सेवा ट्रस्ट गोरखपुर के सहयोग से 04



मलिन बस्तियों क्रमशः बेलियाहाता मलिन बस्ती, मियाँ बाजार मलिन बस्ती, अलवापुर मलिन बस्ती एवं मान्यवर कांशीराम आवासीय कालोनी के कुल 250 परिवारों को दो रंग के कूड़ेदान का वितरण किया गया। साथ ही 200 तुलसी पौधा एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया। मा0 महापौर जी ने प्रत्येक स्थल पर नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलायी और आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति सफाई कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।

1.2.5. माह के प्रथम शनिवार को विशेष सफाई अभियान - शासन के

निर्देशानुसार मई 2017 माह के प्रथम शनिवार (दिनांक 06.05.2017) एवं जून माह में (दिनांक 03.06.2017) को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में नगर निगम गोरखपुर परिसर के अंदर निर्मित पोखरे की सफाई करायी गयी। साथ ही कार्यालय में सफाई तथा धार्मिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही दो रंग के डस्टबिन के प्रयोग हेतु समस्त कर्मचारियों को हस्ताक्षर अभियान चला कर शपथ दिलायी गयी।



2. नगरीय ठोस अपशिष्ट - प्रोसेसिंग एवं निस्तारण

2.1. सालिड वेस्ट निस्तारण योजना "वेस्ट टू एनर्जी" प्लांट की स्थापना - सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा गोरखपुर में सालिड वेस्ट निस्तारण योजना "वेस्ट टू एनर्जी" पद्धति के आधार पर किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट एवं कनसेशन एग्रीमेन्ट के ड्राफ्ट की प्रति नगर निगम गोरखपुर को सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गई थी, जिसका अध्ययन करने के उपरान्त आख्या सी0एण्डडी0एस0, जल निगम, लखनऊ को दिनांक 30.08.2016 को प्रेषित की जा चुकी है। गोरखपुर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत, सालिड वेस्ट का निस्तारण "वेस्ट टू एनर्जी" के आधार पर किये

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AACTN7061J

नाम / Name

NAYI DISHA SEWA TRUST

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation

17/03/2017

04102017